न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री वासुदेव मालावत आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 79 / 2011 (प्रा0पत्र–रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी, जिला कोटा

(प्रार्थी)

बनाम

इस्माइल, इश्हाक, मो0. रशीदन, कदीरन, नज्जो वल्द मल्लन खां मुराद, युनूस, सिराज, शकीला, अकीला, महरून, नसीम, शमशाद वल्द छोटे खां जाति मुसलमान निवासी सुकेत

(अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत रेफरेन्स कार्यवाही

निर्णय दिनांक : 10.07.2019

1. प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी की ओर से अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत यह प्रार्थना इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 826 / 1003 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला खाल मुताबिक मिसल वन्दोबस्त सम्वत् 2014 से 2033 दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकस्मिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 4(1) के तहत आवंटन / खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियां सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है। यह भी कि ऐसी भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। उपरोक्त प्रावधान के होते हुऐ भी परगना अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.02.1973 से उक्तांकित गैर मु0 नाला की भूमि की किस्म बंजड में परिवर्तन करने का आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 04.02.1973 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त साबिक खसरा नम्बर 826 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा में से 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन अपार्थी उपरोक्त के पक्ष में किया गया। जो दोनों कार्यवाहियां अवैधानिक होने से खारिज योग्य है। ग्राम सुकेत के साबिक उक्त खसरा नम्बर 826 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा किस्म गैर मु. नाला की किस्म परगना अधिकारी के आदेश दिनांक 04.02.1973 के तहत राजस्व रेकार्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन करने हेतु नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 06.11.1973 तथा आवंटन आदेश दिनांक 07.02.1973 के तहत नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 06.11.1973 से प्रतिपक्षी (आवंटी) के पक्ष में दर्ज गैर खातेदारी तथा बाद में नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 6.11.1973 से प्रदत्त खातेदारी अनियमित होने के कारण निरस्त योग्य है। भू–प्रबन्ध सन् 2004 से 2024 के तहत उक्त साबिक खसरा नम्बर 826 / 1005 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1265 / 1272 रकबा 0.45 हैक्टयर बनाये गये। तथा मुताबिक मिसल वन्दोवस्त सन् 2004 से 2024 उक्त प्रतिपक्षी गैर खातेदार खसरा नम्बर 1265 / 1272 रकबा 0.45 हैक्टयर किस्म वारानी तृतीय दर्ज रिकार्ड है। जो उपरोक्त अनुसार खारिज होने योग्य है। अतः रेफरेन्स प्रकरण पेश कर निवेदन है कि उक्त अनुसार कार्यवाहियों को निरस्त करवाने और उक्त भूमि को वापस पूर्व अनुसार किस्म गै.मु.

नाला दर्ज रेकार्ड करने के आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल को भिजवानें की कृपा करावे।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। किन्तु अप्रार्थी उपस्थित नहीं होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. पत्रावली का अवलोकन करने उपरान्त यह पाते है कि ग्राम सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा के साबिक खसरा नम्बर 826/1003 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा किस्म गै0मु0 नाला खाल मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2014 से 2033 दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 16 के अनुरूप नदी तल या तालाब की भूमि जो आकस्मिक या कभी कभी खेती के काम में ली जाती हो ऐसी भूमियां खातेदारी अधिकार अथवा राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 4(1) के तहत आवंटन/खातेदारी योग्य भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। उक्त प्रकार की भूमियाँ सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी में आती है। यह भी कि ऐसी भूमि की किस्म परिवर्तन करने का अधिकार राज्य सरकार में निहित है। उपरोक्त प्रावधान के होते हुऐ भी परगना अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 04.02.1973 से उक्तांकित गैर मु0 नाला की भूमि की किस्म बंजड में परिवर्तन करने का आदेश पारित किया गया तथा दिनांक 04.02.1973 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा उक्त साबिक खसरा नम्बर 826 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा में से 02 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन अपार्थी उपरोक्त के पक्ष में किया गया। जो दोनों कार्यवाहियां अवैधानिक होने से खारिज योग्य है। ग्राम सुकेत के साबिक उक्त खसरा नम्बर 826 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा किस्म गैर मु. नाला की किस्म परगना अधिकारी के आदेश दिनांक 04.02.1973 के तहत राजस्व रेकार्ड में भूमि की किस्म परिवर्तन करने हेतु नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 06.11.1973 तथा आवंटन आदेश दिनांक 07.02.1973 के तहत नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 06.11.1973 से प्रतिपक्षी (आवंटी) के पक्ष में दर्ज गैर खातेदारी तथा बाद में नामान्तरकरण संख्या 380 दिनांक 6.11.1973 से प्रदत्त खातेदारी अनियमित होने के कारण निरस्त योग्य है। भू–प्रबन्ध सन् 2004 से 2024 के तहत उक्त साबिक खसरा नम्बर 826/1005 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1265/1272 रकबा 0.45 हैक्टयर बनाये गये। तथा मुताबिक मिसल बन्दोबस्त सन् 2004 से 2024 उक्त प्रतिपक्षी गैर खातेदार खसरा नम्बर 1265/1272 रकबा 0.45 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय दर्ज रिकार्ड है। जो उपरोक्त अनुसार खारिज होने योग्य है।

4. अतः प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी की ओर से प्रस्तुत प्रकरण में वाके ग्राम सुकेत की आराजी खसरा नम्बर 1265/1272 रकबा 0.45 हैक्टयर को निरस्त करवाने और उक्त भूमि को वापस पूर्व अनुसार किस्म गै0मु0 नाला सरकारी सिवायचक खाता सरकार दर्ज रेकार्ड करने के आदेश प्रदान करने हेतु यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रकरण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत निबन्धक महोदय, राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(श्री वासुदेव मालावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा